विकास पर खर्च होगी वसूले गए टैक्स की 60% राशि

धनराशि खर्च को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी समिति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : जिला पंचायतों की सीमाओं के अंदर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले गए टैक्स की 60 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल इन औद्योगिक क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के रखरखाव और विकास में किया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत राशि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के बाहर जिला पंचायत क्षेत्र के विकास में किया जाएगा।

ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त टैक्स/यूजर चार्जेस को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा। जिला पंचायतों के दायरे में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले गए टैक्स के समुचित उपयोग के लिए मंडल स्तरीय समितियों का गठन होगा। पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव की ओर से इस बार में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया गया है।

बीती 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न 'इन्वेस्ट यूपी' की उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने

जिला पंचायतों में औद्योगिक क्षेत्रों का मामला

40 फीसद रकम इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर जिला पंचायत क्षेत्र के विकास में लगेगी

जिला पंचायतों की सीमा में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में दोहरे कराधान और उसके जरिये वसूली गई रकम के समुचित इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं के रखरखाव के लिए करों के उचित और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करके जल्द ही इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया था।

इसके समाधान के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से जारी शासनादेश अनुसार जिला पंचायतों के दायरे में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के आंतरिक विकास और रखरखाव के लिए वसूले गए टैक्स की 60% राशि के उपयोग के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। संबंधित जिलाधिकारी और एवं उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के क्षेत्रीय प्रबंधक इस समिति के सदस्य होंगे। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी समिति के सदस्य-सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि औद्योगिक सगठनों की यह मांग अरसे से लंबित थी, जिसका समाधान मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। जिस औद्योगिक क्षेत्र से टैक्स वसूला जाएगा, उसके विकास व रखरखाव में कर की धनराशि के उपयोग से कर अनुपालन में वृद्धि होगी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास व रखरखाव के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी।